न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 13/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र रामनारायण, जाति जाट, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. भागीरथमल पुत्र मांगूराम, जाति जाट, निवासी बालाजी की ढाणी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. संदीप पुत्र श्योराम,जाति जाट, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. संतोष पत्नि श्योराम,जाति जाट, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. सुरेन्द्र पुत्र श्योराम,जाति जाट, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.12.2021

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माखर तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 123 के अनुसार ग्राम माखर मे स्थित भूमि ख0न0 364 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी जुगलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/4 जाति जाट, सा0 देह खातेदार, भागीरथमल पुत्र मांगूराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 बालाजी की ढाणी, नीमकाथाना, सीकर खातेदार, संदीप पुत्र श्योराम हि0 1/12, संतोष पत्नि श्योराम हि0 1/12, सुरेन्द्र पुत्र श्योराम हि0 1/12 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:–

क0 स0	जमाबन्दी संवत्	ख0न0	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012	360	274 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
2	2025–2028	360	149 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	नोट आदेश जिलाधीश महोदय, झुंझुनूं के कमांक 2265–67 दिनांक 10.06.67 भूमि ख0न0 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गै0मु0नदी मे से 128

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

					बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गै0मु0 नदी रहेगा।
3	2025–2028	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	रामनारायण पुत्र भाना, जाति जाट, नि0 ग्राम गैर खातेदार
4	2029–2032	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	रामनारायण पुत्र भाना, जाति जाट, नि0 ग्राम गैर खातेदार
5	2033–2036	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	रामनारायण पुत्र भाना, जाति जाट, नि0 ग्राम गैर खातेदार
6	2042–2045	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	जुगलाल, श्योचन्द, श्योराम, प्रताप पि0 रामनारायण नि0 ग्राम खातेदार
7	2060–2063	364	1.26 है0	बारानी 3	जुगलाल, श्योचन्द, प्रताप पि0 रामनारायण हि0 3/4, मु0 सन्तोष बेवा श्योराम, सुरेन्द्र, सन्दीप पि0 श्योराम हि0 1/4 जाति जाट, नि0 सा0 देह खातेदार
8	2062–2065	364	1.26 है0	बारानी 3	जुगलाल, श्योचन्द, प्रताप पि0 रामनारायण हि0 3/4, मु0 सन्तोष बेवा श्योराम, सुरेन्द्र, सन्दीप पि0 श्योराम हि0 1/4 जाति जाट, नि0 सा0 देह खातेदार
9	2064–2067	364	1.26 है0	बारानी 3	भागीरथमल पि0 मांगूराम हि0 1/2, जाति जाट, नि0 बालाजी की ढाणी, तहसील नीमकाथाना सीकर, जुगलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4, सुरेन्द्र, सन्दीप पि0 श्योराम सन्तोष पत्नि श्योराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार।
10	2068–2071	364	1.26 है0	बारानी 3	भागीरथमल पि0 मांगूराम हि0 1/2 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा ईस्लामपुर मूर्तहीन जाति जाट, नि0 बालाजी की ढाणी, तहसील नीमकाथाना सीकर, जुगलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4, सुरेन्द्र, सन्दीप पि0 श्योराम सन्तोष पत्नि श्योराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार।
11	2074–2077	364	1.26 है0	बारानी 3	भागीरथमल पि0 मांगूराम हि0 1/2 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा ईस्लामपुर मूर्तहीन जाति जाट, नि0 बालाजी की ढाणी, तहसील नीमकाथाना सीकर, जुगलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4, सुरेन्द्र, सन्दीप पि0 श्योराम सन्तोष पत्नि श्योराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उक्त वर्णित भूमि गै0मु0 नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही हैं। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन / नियमन / अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित भूमि ख.न. 364 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई की गई।

बहस राजकीय अभिभाषक की सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 1.26 हैक्टर के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनावेदक के खाते से हटाया जाकर पुनः गै0मु0 नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस राजकीय अभिभाषक पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा ग्राम माखर की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 123 के अनुसार ग्राम माखर स्थित भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 1.26 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. विवादित आराजी की बाबत जिलाधीश, झुंझुनू ने एक आदेश कमांक 2265–67 दिनांक 10.06.1967 को दिया था, जिसके अनुसार '' भूमि खसरा नम्बर 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा, 360 / 479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गैर मुमकीन नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गैर मुमकीन नदी रहेगा। '' इस तरह तत्कालीन कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म बदली है। उक्त तथ्य का रिकार्ड देखकर परीक्षण आवश्यक है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2. ग्राम माखर स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 1.01 हैक्टर जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते में गैर मुमकीन नदी दर्ज रिकार्ड थी। विवादित आराजी अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि है, जिसकी किस्म वर्तमान में बारानी 3 के रूप में दर्ज है। न्यायालय हाजा में उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 360 की बाबत रेफरेन्स में सुनवाई कर दिनांक 22.02.2021 को आदेश पारित किये गये है, जिसमें प्रस्तुत नजीर 2019 आर.बी.जे. 241 के अनुसार Although there is no limitation prescribed for making reference but delay should be reasonable. Delay of 44 years cannot be said to be reasonable in any menner. प्रकरण में विवादित आराजी जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के बाद खातेदारी के रूप में दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष लगभग 53 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह मौके की विस्तृत जांच करें तथा जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तत्पश्चात यदि रेफरेन्स का प्रकरण बनता है तो प्रार्थी पुनः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
06/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू